न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 17/2019

बउनवान

पुष्पलता पुत्री श्री मथुरालाल पत्नि श्री धासीलाल जाति मेधवाल निवासी खेराली तहसील बारां हाल निवासी डिसलेरी रोड खेड़लीगंज अटरू, तहसील अटरू जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

1. रामकन्याबाई पुत्री श्री मथुरालाल पत्नि श्री महिराम जाति मेधवाल निवासी खेराली तहसील बारां हाल निवासी सम्बलपुर पोस्ट सम्बलपुर तहसील बारां जिला बारां
2. तुलसांबाई पुत्री श्री मथुरालाल पत्नि श्री सुरेन्द्रपाल जाति मेधवाल निवासी खेराली तहसील बारां हाल निवासी इन्द्रा गांधी स्कूल के पास गली नं. 6 प्लाट नं. 171 गांधी कॉलोनी माला फाटक कोटा जिला कोटा, राज0
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां, राज0

(रेस्पोंडेंट्स)

अपील बनाराजगी इन्तकाल संख्या 489 दिनांक 08.05.2001 वाके ग्राम खेराली अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री रघुवीर प्रसाद मीणा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री तक्षराज सिंह हाड़ा, अभिभाषक (रेस्पो.1व 2)
3. पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 19.04.2021

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम खेराली तहसील बारां में आराजी खाता सं0 नया 355 पुराना 352 से खसरा नं0 120 रकबा 1.34 है., खसरा नं0 121/1246 रकबा 0.41 है. कुल दो किता रकबा 1.75 है. जमाबंदी संवत 2069–72 अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपीलांट व रेस्पो0 क्रम 1 व 2 का संयुक्त खातेदारी में अंकित है। उक्त विवादित आराजीयात अपीलांट व रेस्पो0 क्रम 1 व 2 को अपने पिता मथुरालाल से विरासत में प्राप्त हुयी है। अपीलांट व रेस्पो0 क्रम 1 व 2 के पिता मथुरालाल का स्वर्गवास होने पर अपीलांट का नाम रामभरोसी सहवन से गलत अंकित कर दिया है। रामभरोसी अपीलांट का धर का नाम है। अपीलांट का असली व सही नाम पुष्पलता है तथा पुष्पलता नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:06:19 IST
Reason: SelfAttested

सरकारी रिकार्ड फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड में अंकित है। अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में पुष्पलता के स्थान पर रामभरोसी अंकित कर देने के कारण अपीलांट को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। इस कारण अपीलांट उक्त इन्तकाल को खारिज करवाकर पुष्पलता के नाम से पुनः इन्तकाल खुलवा पाने की अधिकारी है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि इन्तकाल सं0 489 दिनांक 08.05.2001 ग्राम खेराली को निरस्त फरमाया जावे तथा पुनः इन्तकाल खोलकर अपीलान्ट का रामभरोसी के स्थान पर दुरूस्त कर पुष्पलता अंकित करने का आदेश प्रदान करें।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तथा रिपोर्ट तलब की गयी।

3— रेस्पो0 क्रम 1 व 2 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब अपील इस आशय का पेश हुआ कि अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने में हम रेस्पो0 क्रम 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट का धर का नाम रामभरोसी है जबकि अपीलान्ट का सही नाम पुष्पलता है तथा पुष्पलता नाम से सरकारी रिकार्ड, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड बने हुये हैं।

4— अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

5— सर्वप्रथम हमने मियाद के बिन्दु पर वकील अपीलांट को सुना। न्यायहित में अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम खेराली के खाता सं0 नया 355 पुराना 352 में अपीलान्ट का नाम क्र0 3 खातेदार के नाम में रामभरोसी पुत्री मथुरा गलत दर्ज हो गया है जबकि पुष्पलता पुत्री मथुरालाल होना चाहिये था। खातेदार का नाम रामभरोसी गलत है, खातेदार का वास्तविक नाम पुष्पलता है। अपीलांट के परिचय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में भी अपीलांट का नाम पुष्पलता है। इंतकाल नं0 489 के दौरान अपीलांट के नाम में त्रुटि होने के कारण वर्तमान जमाबन्दियों में बतौर खातेदार कृषक गलत नाम होने के कारण क्रेडिट कार्ड व अन्य योजनाओ का लाभ लेने से अपीलांट वंचित हो रही है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, इन्तकाल सं0 489 दिनांक 08.05.2001 ग्राम खेराली निरस्त किया जाकर, अपीलांट का नाम रामभरोसी पुत्री मथुरालाल के स्थान पर पुष्पलता पुत्री मथुरालाल का इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:06:19 IST
Reason: SelfAttested

6— दौराने बहस विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1 व 2 ने जवाब अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अपीलांट के नाम का नाम रामभरोसी है तथा उसके सरकारी दस्तोवजात फोटो पहचान पत्र व आधार कार्ड इत्यादि में नाम पुष्पलता अंकित है। यदि अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में मुताबिक पहचान पत्र, आधार कार्ड पुष्पलता अंकित किया जाये तो रेस्पो0 क्रम 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

7— दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि नामां0 संख्या 489 ग्राम खेराली ग्राम वासियान से पूछताछ पश्चात बाद जांच खोला जाकर तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

8— हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष व पेरोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा इंतकाल नं0 489 के दौरान पुष्पलता के स्थान पर रामभरोसी जो कि अपीलांट का घर पर बोलने वाला नाम हैं, अंकित कर दिया। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति पेन कार्ड में अपीलांट का नाम पुष्पलता पुत्री मथुरालाल अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा मृतक मथुरालाल के फौती इन्तकाल में अपीलांट का नाम गलत दर्ज किया गया है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 489 दिनांक 08.05.2001 वाके ग्राम खैराली तहसील—बारां निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं रेकार्ड से अपीलांट के वास्तविक नाम की विस्तृत जॉच कर, पुनः नये सिरे से इन्तकाल दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:06:19 IST
Reason: SelfAttested